



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]
No. 66]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2007/माघ 25, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2007/MAGHA 25, 1928

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 85(अ).—स्वयंप्रकाशक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री मुकुल सिंघल, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा. सं. 820/12/2006-पीआईटीएनडीपीएस]

के. एस. शर्मा, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2007

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri Mukul Singhal, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. 820/12/2006-PITNDPS]

K. S. SHARMA, Dy. Secy.